न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री रामलाल पुत्र ताराजी, जाति- लौहार, निवासी- कालन्द्री, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 43/2021

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवडा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 31 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 94/2021 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 01.9.2021 बाबत ग्राम कालन्द्री-प्रथम के खसरा संख्या 2138 रकबा 0.14 हेक्टेयर किस्म गोचर राजकीय बिलानाम भूमि का अपीलार्थी अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध हल्का पटवारी- प्रथम ने दिनांक 08.7.2021 को ग्राम कालन्द्री प्रथम के खसरा संख्या 2138 में से रकबा 0.14 हेक्टेयर किस्म गोचर राजकीय बिलानाम भूमि पर संवत 2078 में अवैध रुप से कब्जा व बाड/तारबंदी कर अतिचार के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब एवं विवादित भूमि पर पुराने कब्जे एवं विवादित भूमि का कारखाना के लिये आवंटन कराने तथा उक्त भूमि के बदले खातेदारी भूमि को सरेण्डर करने की सम्पूर्ण पत्रावली मय मौका जांच, ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज बतौर सबूत प्रस्तुत किये। इन दस्तावेजात मय पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर पुराने कब्जे के संबंध में दस्तावेज एवं विवादित भूमि के बदले खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:11 IST
Reason: SelfAttested

....पेज

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भाग सरेण्डर करने की समस्त पत्रावली मौका फर्द, ग्राम पंचायत की अनापत्ति आदि दस्तावेज, तथा विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग बतौर कारखाना आम लोगों की सुवधिा के लिये वेल्डिंग एवं ट्रोली निर्माण व कृषि उपकरणों के निर्माण कार्य हेतु बतौर कारखना भगवती इंजिनीयरिंग वकर्स के नाम से आवंटन कराने की पत्रावली की नकले प्रस्तुत की थी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर गत 20-25 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है एवं पुराने कब्जे के आधार पर अपीलार्थी विवादित भूमि को नियमन कराने का अधिकार रखता है तथा इस भूमि के बदले अपीलार्थी अपने स्वयं की खातेदारी भूमि का भाग गोचर हेतु सरेण्डर करवाकर विवादित भूमि को कारखाना हेतु आवंटन कराने के लिये पत्रावली प्रस्तुत कर रखी है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध है। विवादित भूमि ग्राम की आबादी भूमि से लगती हुई होने के कारण नियमन योग्य भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को हल्का पटवारी के बयानों से जिरह करने का अवसर भी नही दिया है, जिससे अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के अधिकार हनन हुआ है। अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.9.2021 को निरस्त कर विवादित भूमि खसरा संख्या 2138 रकबा 0.14 हेक्टेयर का नियमानुसार अपीलार्थी के हक में नियमन/आवंटन करने के आदेश प्रदान करावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री प्रथम द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विधिवत नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, अत: अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, कालन्द्री प्रथम द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2138 रकबा 0.14 हेक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व तारबन्दी करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये व अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री ने बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:14:11 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खोड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही